न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

Jodhpur-2022-471(GCMS2022-124) RTA223 Baburam n ors Vs Pushpadevi etc

1. बाबूराम पुत्र खानूराम
2. रेशमाराम पुत्र खानूराम
3. भारमल पुत्र मगनराम
   सभी जाति विश्नोई,
   निवासीगण ग्राम मानेवडा, तहसील बाप
   जिला जोधपुर

अपीलाण्ट्स...

ब

ना

म

1. पुष्पादेवी पत्नी बाबुलाल जाति ब्राह्मण
   निवासी ग्राम मानेवडा, तहसील बाप,
   जिला जोधपुर
2. कैलाश पुत्र बाबूलाल जाति ब्राह्मण
   निवासी ग्राम मानेवडा, तहसील बाप,
   जिला जोधपुर
3. सुमित्रा पुत्री बाबुलाल ब्राह्मण
4. पारस पुत्री बाबुलाल ब्राह्मण
5. द्रोपदी पुत्री बाबुलाल ब्राह्मण
6. रेवन्त पुत्र बाबुलाल ब्राह्मण
7. सरोज पुत्री बाबुलाल ब्राह्मण
8. ममता पुत्री बाबुलाल ब्राह्मण
9. रूखी पुत्री बाबुलाल ब्राह्मण
10. कमला पुत्री बाबुलाल ब्राह्मण
    निवासीगण नोखा, तहसील नोखा
    जिला बीकानेर
11. अनसुया पुत्री बाबुलाल ब्राह्मण
    निवासी मोहनपुरा, तहसील नोखा
    जिला बीकानेर
12. नथमल पुत्र मोतीलाल ब्राह्मण
    निवासी ग्राम मानेवडा, तहसील बाप
    जिला जोधपुर
13. राजस्थान सरकार

जरिये तहसीलदार, बाप
जिला जोधपुर

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश सहायक कलेक्टर बाप दिनांक 15 मार्च 2022 राजस्व वाद संख्या 52/2013 बाबुलाल के कायममुकामान बनाम खानुराम के कायममुकामान व अन्य

उपस्थित-
श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री मंजूल श्रीमाली, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 1 से 11
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 13

नि र्ण य

दिनांक : 15 नवम्बर, 2022

अपीलाण्ट्स ने न्यायालय सहायक कलेक्टर बाप द्वारा राजस्व वाद संख्या 52/2013 बाबूलाल के कायममुकामान बनाम खानुराम के कायममुकामान व अन्य में पारित निर्णय एवं फाइनल डिकी दिनांक 15 मार्च 2022 के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 31 मार्च 2022 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादग्रस्त आराजियात के संबंध में न्यायालय सहायक कलेक्टर फलोदी के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 91, 92ए, 53 एवं 188 के तहत प्रस्तुत राजस्व वाद संख्या 195/1985 बाबूलाल बनाम खानुराम इत्यादि दिनांक 21 नवम्बर 1996 को स्वीकार कर प्राथमिक डिकी जारी की गयी। उक्त निर्णय एवं डिकी

राजस्व अपील प्राधिकारी

के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील संख्या 54/1996 खानूराम व अन्य बनाम बाबूलाल इत्यादि न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर द्वारा दिनांक 29 सितम्बर 1999 को निर्णित की गयी। द्वितीय अपील माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा दिनांक 02 मई 2003 को खारिज कर दी गयी। जिसके खिलाफ माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में सिविल रिट याचिका संख्या 3107/2003 खानूराम के वारिसान व अन्य बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यु फॉर राजस्थान इत्यादि पेश की गयी। प्रथम अपील संख्या 54/1996 खानूराम व अन्य बनाम बाबूलाल इत्यादि में न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29 सितम्बर 1999 के अनुसरण में कार्यवाही करते हुए परीक्षण न्यायालय द्वारा निर्णय एवं अंतिम डिकी दिनांक 21 अगस्त 2003 को पारित किये गये। जिसके खिलाफ अपील संख्या 67/2003 खानूराम के कायममुकामान बनाम बाबूलाल इत्यादि प्रथम अपीलीय न्यायायल द्वारा दिनांक 12 फरवरी 2004 को स्वीकार की गयी। उक्त निर्णय दिनांक 12 फरवरी 2004 के खिलाफ माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में प्रस्तुत अपील संख्या 32/2004 दिनांक 25 जनवरी 2006 को स्वीकार की जाकर प्रकरण प्रथम अपीलीय न्यायालय को रिमाण्ड किया गया। जिसकी पालना में प्रथम अपीलीय न्यायायल में पुनः अपील संख्या 39/2006 संस्थित की गयी और निर्णय दिनांक 17 सितम्बर 2008 पारित कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना सुनिश्चित करते हुए निर्णय एवं फाइनल डिकी पारित किये जाने के

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

निर्देश दिये। जिसके अनुसरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है।

अपील के साथ अपीलाण्ट्स की ओर से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के तहत स्थगन प्रार्थनापत्र पेश किया गया, जिसके संबंध में पक्षकारान की सुनवाई के बाद मामले में वादग्रस्त आराजियात बाबत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष सिविल रिट याचिका संख्या 3107/2003 में दिनांक 23 नवम्बर 2007 वादग्रस्त आराजी बाबत यथास्थिति बनाये रखने का आदेश अस्तित्व में होने से आलौच्य अपील में अदालत हाजा के स्तर पर किसी प्रकार के अंतरिम स्थगन आदेश की आवश्यकता नहीं होना आदेशिका दिनांक 11 अप्रेल 2022 में अंकित किया गया।

आलौच्य अपील विचाराधीन रहने के दौरान दिनांक 01 जुलाई 2022 को प्रार्थनापत्र पेश कर रेस्पो. की ओर से माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष मुन्तकिली प्रार्थनापत्र पेश किया जाना जाहिर करते हुए उक्त प्रार्थनापत्र बाबत माननीय मण्डल का आदेश प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा गया। किन्तु वर्तमान तक अदालत हाजा के समक्ष तत्संबंधित कोई आदेश प्रस्तुत नहीं किया गया है। अदालत हाजा के तत्कालीन पीठासीन अधिकारी भी सेवा-निवृत हो चुके है। अतः मूल अपील बाबत मेरिट पर बहस सुनी गयी।

अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स द्वारा प्रकरण के तथ्यों एवं अपील मीमों व लिखित बहस में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए दृढतापूर्वक कथन किया गया है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में वादग्रस्त आराजियात बाबत खातेदारी अधिकारों की घोषणा के संबंध

राजस्व अपील प्राधिकारी

में सिविल रिट याचिका विचाराधीन रहते एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 23 नवम्बर 2007 प्रभावी रहते, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं फाइनल डिकी पारित किया जाना किसी भी दृष्टि से न्यायोचित एवं विधिसम्मतः नहीं है। अतः प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी अपास्त किये जावे।

जबाब में अधिवक्ता-रेस्पो. ने अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी का समर्थन करते हुए कथन किया कि अदालत हाजा द्वारा अपील संख्या 39/2006 संस्थित की गयी और निर्णय दिनांक 17 सितम्बर 2008 पारित कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना सुनिश्चित करते हुए निर्णय एवं फाइनल डिकी पारित किये जाने के निर्देश दिये। जिसके अनुसरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी पारित किये गये है। प्रस्तुत अपील सारहीन होने से तदनुसार खारिज की जावे।

उभयपक्षकारान की लिखित एवं मौखिक बहस पर मनन करने एवं उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन करने के उपरान्त यह पाया जाता है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में सिविल रिट याचिका संख्या 3107/2003 खानूराम के वारिसान व अन्य बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यु फॉर राजस्थान इत्यादि में दिनांक 23 नवम्बर 2007 को पारित आदेश इस प्रकार है -

> In the facts and circumstances of the case, it is directed that during pendency of this writ petition, the status quo over the property in question shall be maintained and the petitioner shall

not be dispossessed from the land in dispute if they are already in possession. The stay application is accordingly disposed of.

Let the writ petition be listed for hearing in due course.

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष सिविल रिट याचिका का निस्तारण हो गया हो अथवा उक्त स्थगन आदेश प्रभावहीन हो चुका हो, ऐसा कोई दस्तावेज अदालत हाजा अथवा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया है। अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष सिविल रिट याचिका एवं उसकी कार्यवाही में पारित उक्त स्थगन आदेश प्रभावी रहते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री समर्थन किये जाने योग्य नहीं पाये जाते है। यद्यपि अदालत हाजा द्वारा अपील संख्या 39/2006 निस्तारित करते हुए निर्णय दिनांक 17 सितम्बर 2008 पारित कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना सुनिश्चित करते हुए निर्णय एवं फाइनल डिक्री पारित किये जाने के निर्देश सहित रिमाण्ड किया गया था। इस प्रकार रिमाण्ड किये गये प्रकरणों में विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण से संबंधित सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विधिक प्रावधानों सहित उच्च न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय/आदेश के अनुरूप कार्यवाही किया जाना अपेक्षित होता है। किन्तु आलौच्य प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल रिट याचिका संख्या 3107/2003 खानूराम के वारिसान व अन्य बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यु फॉर राजस्थान इत्यादि एवं उसमें दिनांक 23 नवम्बर 2007 को पारित स्थगन आदेश को ध्यान में नहीं रखा गया है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलाण्ट्स आंशिक स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15 मार्च 2022 अपास्त किये जाते है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वादग्रस्त आराजियात बाबत माननीय

राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल रिट याचिका संख्या 3107/2003 खानूराम के वारिसान व अन्य बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यु फॉर राजस्थान इत्यादि में दिनांक 23 नवम्बर 2007 को पारित स्थगन आदेश के प्रभावी रहते हुए वादग्रस्त आराजियात बाबत अधीनस्थ न्यायालय में मूल वाद में अग्रिम कार्यवाही स्थगित रखी जावे एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशों की पालना की जावे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15.11.2022

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर